कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 07.06.2026

"चन्दौली पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही; असलहे के बल पर लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़"

☐ थाना बलुआ पुलिस की त्वरित कार्यवाही, चहनियां बाजार में हुई सनसनीखेज लूट का सफल अनावरण।
☐ पिस्तौल सटाकर राहगीरों से मोबाइल व नगदी छीनने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा।
☐ लूट में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल (UP67AP0524) व 01 अवैध पिस्टल, 01 अवैध असलहा 315 बोर व 02 कारतूस किये गये बरामद।
☐ लूट किये गये सामान में से मोबाइल फोन व 2500 रूपये किये गया बरामद।

घटना का विवरण-
दिनांक 06.06.2026 को वादी गोविन्द मिश्रा पुत्र तारकेश्वर मिश्रा निवासी: ग्राम मिश्रपुरा, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली द्वारा थाना बलुआ पर तहरीर दी गई कि दिनांक 03.06.2026 को दोपहर करीब 12:00 बजे वादी निजी कार्य से चहनियां बाजार गए थे। वहाँ चहनियां बाजार गली के किनारे एक पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP67AP0524 पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने वादी को रोक लिया। बदमाशों ने वादी के ऊपर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर उनका एक VIVO मोबाइल फोन तथा जेब में रखे ₹3,200 नगद जबरन छीन लिए और मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बलुआ पर मु0अ0सं0 0164/2026, धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस कार्यवाही-
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उच्चाधिकारीगण निर्देशन में थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की सहायता से पल्सर सवार दोनों अज्ञात अभियुक्तों की पहचान कर ली गयी।
आज दिनाँक 07.06.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अनुपम पाण्डेय उर्फ गोलू पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली व आकाश कुमार पुत्र बब्बन राम निवासी ग्राम महुअर थाना बलुआ जनपद चन्दौली अपने घर आये हुए है सुबह ही भोर में भागनें के फिराक में है। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बलुआ पुलिस द्वारा वाराणसी से बलुआ मार्ग पर बलुआ पुल से पूर्व की चेकिंग के दौरान दोनों अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु वह

भाग निकले कुछ दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल अनियत्रिंत होकर गिर गये, अभियुक्तों द्वारा खुद को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसमें उपनिरी0 जमीलुद्दीन खान के बायें हाथ में गोली लगी तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अभियुक्तों पर फायर किया गया जिसमें अभियुक्त अनुपम पाण्डेय उर्फ गोलू पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली के दहीने पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया व दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल व 01 खोखा बरामद, 01 अवैध 315 बोर असलहा व 01 खोखा, लूट का मोबाइल फोन, 2500 रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अनुपम पाण्डेय उर्फ गोलू पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2-आकाश कुमार पुत्र बब्बन राम निवासी ग्राम महुअर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

1-अनुपम पाण्डेय उर्फ गोलू पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1. मु0अ0सं0 0164/2026, धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0 59/2024, धारा 379,411 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0 60/2024, धारा 379,411,420 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
4. मु0अ0सं0 64/2024, धारा 379,411,413,419,420 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
5. मु0अ0सं0 36/2022, धारा 363,366 भादवि थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
6. मु0अ0सं0 78/2025, धारा 109(1),115(2),117(2),191(2),351(2),352 बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

2-आकाश कुमार पुत्र बब्बन राम निवासी ग्राम महुअर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

1. मु0अ0सं0-140/2020 धारा 411,414 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0-01/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0 0164/2026, धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

बरामदगी विवरण-

01 अवैध पिस्टल व 01 खोखा बरामद,

01 अवैध 315 बोर असलहा व 01 खोखा,

लूट का मोबाइल फोन,

2500 रूपये

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपराध में प्रयुक्त वाहन पल्सर मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या: UP67AP0524)

"रेकी, चोरी और बिहार में बिक्री... वाहन चोरों के पूरे नेटवर्क का चन्दौली पुलिस ने किया खुलासा"

□थाना चन्दौली पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण कर चोरी की 06 बाइक बरामद व 05 अभियुक्त गिरफ्तार।
□कचहरी, अस्पताल और बाजारों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 06 वाहन बरामद।
□अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 06 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बिंदेश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना चन्दौली के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 05 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जें व निशानदेही पर कुल 06 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई।

पुलिस कार्यवाही-
दिनांक 06.06.2026 को थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा धरौली-बिहार मार्ग पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी कुछ समय पश्चात दो व्यक्ति अलग-अलग मोटरसाइकिलों से आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ की गई। दोनों व्यक्ति वाहन संबंधी कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। तकनीकी जांच एवं चेसिस नंबर के सत्यापन में दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की पाई गईं। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान छबीले राजभर पुत्र हरिकेश राजभर निवासी उदयरामपुर, थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार व अभिषेक कुमार उर्फ फौजी पुत्र रामदेव सिंह निवासी कल्यानीपुर, थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार के रूप में हुई। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल थाना चन्दौली क्षेत्र से तथा दूसरी मोटरसाइकिल थाना सैयदराजा क्षेत्र से चोरी की गई पाई गई। अभियुक्तों द्वारा बताया कि उनके अन्य साथी चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ पीछे-पीछे आ रहे हैं।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा नवीन मंडी एवं नवही मार्ग पर पुनः घेराबंदी की। कुछ समय पश्चात तीन अन्य व्यक्ति अलग-अलग मोटरसाइकिलों से आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर वे भागने का प्रयास करने लगे, किन्तु पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दीकर तीनों लोगो को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान पूछताछ में उनकी शुभम कुमार पुत्र राम लेखक निवासी रतनपुरा, थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली, विशाल राय पुत्र स्वर्गीय रमेश राय निवासी नई बाजार, थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली व राहुल राय पुत्र राजेश राय निवासी नई

बाजार थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली के रूप में हुई। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद वाहनों का भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन किया गया, जिसमें कई वाहन थाना चन्दौली, थाना सैयदराजा एवं थाना सकलडीहा क्षेत्र से चोरी किए गए पाए गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल खराब हो जाने के कारण मझवार रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी कर दी गई है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा मझवार रेलवे स्टेशन पहुंचकर उक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 290/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं तथा जनपद के भीड़भाड़ वाले स्थानों, अस्पतालों, कचहरी परिसर, बाजारों एवं रेलवे स्टेशनों की रेकी करते थे। जहां लोग अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर चले जाते थे, वहां अवसर पाकर वाहन चोरी कर लेते थे। चोरी के बाद वाहनों की नम्बर प्लेट बदल दी जाती थी अथवा हटा दी जाती थी, जिससे उनकी पहचान न हो सके। वाहनों को बिहार के शराब तस्करों को बेच देते हैं। चोरी के वाहनों का उपयोग अवैध शराब की तस्करी में किया जाता है तथा पकड़े जाने पर तस्कर वाहनों को छोड़कर फरार हो जाते हैं।

अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे विभिन्न स्थानों से चोरी की गई मोटरसाइकिलों को एकत्रित कर बिहार ले जाकर बेचते थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर मझवार रेलवे स्टेशन परिसर से एक अतिरिक्त चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास-

1.छबीले राजभर पुत्र हरिकेश राजभर, निवासी उदयरामपुर थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (बिहार)
मु0अ0सं0 275/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चन्दौली
मु0अ0सं0 290/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस थाना चन्दौली।

2. अभिषेक कुमार उर्फ फौजी पुत्र रामदेव सिंह, निवासी कल्यानीपुर थाना चैनपुर, जनपद कैमूर (बिहार)
मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत थाना सैयदराजा
मु0अ0सं0 290/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस थाना चन्दौली।

3. शुभम कुमार पुत्र राम लेखक, निवासी रतनपुरा थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली
मु0अ0सं0 215/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चन्दौली

मु0अ0सं0 290/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस थाना चन्दौली।
4. विशाल राय पुत्र स्व0 रमेश राय, निवासी नई बाजार थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली
मु0अ0सं0 290/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस थाना चन्दौली।
5. राहुल राय पुत्र राजेश राय, निवासी नई बाजार थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली
मु0अ0सं0 33/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत थाना सकलडीहा पर
मु0अ0सं0 290/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस थाना चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

1.स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नं0 UP67 AC 8431
2.स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नं0 UP67 AH 9366
3.मोटरसाइकिल नं0 UP67 W 5675
4.प्लेटिना मोटरसाइकिल नं0 BR26 E 6650
5.मोटरसाइकिल नं0 UP67 C 0037
6.पल्सर मोटरसाइकिल नं0 UP67 AJ 2784

"ऑपरेशन वज्रपात" सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर समाज में भय एवं आतंक का माहौल उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध चन्दौली पुलिस का 05 दिवसीय विशेष अभियान

□ अभियान "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग बनाकर भय, आतंक एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले 64 गैंग को चिन्हित कर व्यक्तियों एवं उनके सदस्यों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही।

□ 49 अभियोगों में कुल 187 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में उच्चाधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों पर दिनांक 01.06.2026 से 05.06.2026 तक 05 दिवसीय विशेष अभियान "ऑपरेशन वज्रपात" संचालित किया गया। अभियान के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग बनाकर हथियारों का प्रदर्शन, आपराधिक छवि का प्रचार-प्रसार, युवाओं को गुमराह करने तथा समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभिययोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई-

सोशल मीडिया गैंगों एवं सदस्यों का चिन्हीकरण-

समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा बीट पुलिसकर्मियों के सहयोग से ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप, पेज एवं गैंगों का चिन्हीकरण किया गया जो विभिन्न नामों से संगठित होकर समाज में दबदबा स्थापित करने, भय उत्पन्न करने अथवा आपराधिक गतिविधियों का महिमामंडन करने का प्रयास कर रहे हैं।

दिनांक 01.06.2026 से 05.06.2026 तक संचालित विशेष अभियान "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों पर 64 गैंग को चिन्हित कर 49 गैंगो के विरुद्ध अभियोगों पंजीकृत किया गया जिसमें कुल 187 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, व 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा 65 अन्य सदस्यों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.आमिर अहमद पुत्र जियाउद्दीन निवासी ग्राम बड़गावां थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 24 वर्ष
2.रम्मन सोनकर पुत्र स्व0 प्यारेलाल सोनकर उम्र करीब 48 वर्ष निवासी न्यू महाल नईसट्टी रस्तोगी गली हनुमान मन्दिर के पास थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
3.प्रांशु चौहान पुत्र राजकुमार चौहान उर्फ पप्पू निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब-23 वर्ष
4.संतोष यादव पुत्र राम जनम यादव निवासी ग्राम अमृतपुर थाना नौगढ जनपद चन्दौली उम्र करीब 33 वर्ष

पंजीकृत अभियोगों का थानावार विवरण-

अलीनगर-04
सैयदराजा-04
बबुरी-03
मुगलसराय-06
धीना-02
चन्दौली-05
चकिया-01
चकरघट्टा-02
नौगढ़-02
सकलडीहा-02
कंदवा-03
धानापुर-06
इलिया-02
बलुआ-05
शहाबगंज-02

जनता से अपील-

तत्काल सूचना दें-

यदि आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति अथवा समूह सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संचालित कर हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, भय एवं आतंक का वातावरण बना रहा है, युवाओं को गुमराह कर

रहा है अथवा आपराधिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार कर रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल अपने स्थानीय थाने को दें।

पहचान गोपनीय रहेगी-

सूचना देने वाले सभी नागरिकों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। आपकी सुरक्षा एवं गोपनीयता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

व्हाट्सएप बॉट का माध्यम-

यदि आप सीधे थाने जाने में असमर्थ हैं अथवा गोपनीय रूप से सूचना देना चाहते हैं, तो **वाराणसी जोन द्वारा संचालित आधिकारिक व्हाट्सएप बॉट नंबर 7839860411** पर अपनी शिकायत अथवा सूचना दर्ज करा सकते हैं।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर-

चन्दौली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग बनाकर भय का वातावरण उत्पन्न करने, हथियारों का प्रदर्शन करने, आपराधिक छवि का प्रचार-प्रसार करने, रील्स एवं पोस्ट के माध्यम से दबंगई प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कठोर विधिक कार्रवाई कर रही है।

अपराध एवं अराजकता के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चन्दौली पुलिस जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

□थाना अलीनगर व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में साइकिल सवार हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण

□पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त घायल/गिरफ्तार

घटना-

दिनांक 06.06.2026 को थाना अलीनगर पर प्रार्थी अशोक कुमार खरवार पुत्र भगवान राम ग्राम छिड़े चतुर्भुजपूर थाना मुगलसराय जिला चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरे भाई मनोज कुमार प्रतिदिन की भाँती घर से 06.06.2026 को लगभग सुबह 7:00 बजे काम पर श्रीराम धर्म काटा चन्दासी के लिए निकले थे कि समय करीब 2:30 बजे दिन में सुचना मिली की ग्राम टरियाँ-पटपरा मे सड़क पर किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा मनोज कुमार उम्र लगभग 38 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/2026 धारा 103(1) में अभियोग पंजीकृत कर घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस एवं थाना अलीनगर पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया गया।

कार्यवाही-

घटना के अनावरण के दौरान तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर बिहार राज्य के निवासी हैं। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक शातिर शूटर *सूरज उर्फ राजेश यादव निवासी जनपद भोजपुर, बिहार* को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी हेतु घटनास्थल पर ले जाया गया। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा पूर्व से लोडेड पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त सूरज उर्फ राजेश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है।

प्रकरण की विवेचना एवं पूछताछ के दौरान पुलिस को इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ताओं, गिरफ्तार शूटर तथा एक अन्य फरार शूटर के संबंध में महत्वपूर्ण एवं ठोस जानकारी प्राप्त हुई है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में

विस्तृत जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया जाएगा। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।